

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सीहोर जिले में ग्राम खेरी से डोंगलापानी व्हाया डूंडालावा मार्ग निर्माण हेतु 4.410 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग, बुदनी को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 047/2022-BHO/ दिनांक 19.04.2023

----0----

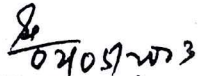
कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आवेदक संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 21.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जानकारी प्रस्तुत की है, जो कि निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	As per DSS analysis, the KML of area proposed for diversion is overlaid on One Irrigation structure. This needs clarification.	इस संबंध में आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग पर स्थित नाले पर एक पूर्व निर्मित जर्जर अवस्था में स्टॉप डेम/बैराज निर्मित है, जिसका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जाता है। स्टॉप डेम के अपस्ट्रीम साइड में बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, इस संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
2	Also the KML file shows the beginning of the road from a habitation. However, the road ends in the middle of forest with no habitation. It seems the KML file needs rectification.	इस संबंध में आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग खेरी से डोंगलापानी व्हाया डूंडालावा तक 20 किलोमीटर का मार्ग बनाना है जो कि डूंडालावा होते हुए गुजरेगा। यह प्रस्ताव (पार्ट-1) लाडकुई वन परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि का है, जिसके प्रारंभिक भाग में ग्राम डोंगलापानी है, जहां पर आबादी निवासरत् है, इसी प्रकार (पार्ट-2) में ग्राम खेरी ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जिसका ऑनलाईन प्रस्ताव पृथक से भेजा जा रहा है।

3	Detailed Muck calculation along with muck disposal scheme shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि मार्ग निर्माण में पहाड़ी एवं ऊर्चें स्थानों की कटिंग, लेवलिंग एवं आसान ग्रेडियेन्ट बनाने में 96000 घनमीटर मिट्टी/आडिनरी रॉक की खुदाई होगी, जिसका उपयोग मार्ग निर्माण, समतलीकरण एवं स्लोप के निर्माण में उसी स्थान पर किया जावेगा।
4	DFO needs to re-inspect the area proposed for diversion and submit a detailed report on justification of this road.	इस संबंध में वन मण्डलाधिकारी सीहोर ने आवेदक संस्थान के साथ दिनांक 28.04.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित मार्ग खेरी से डोंगलापानी लम्बाई 6.30 कि.मी. प्रचलित वनमार्ग है, जो कि वन परिक्षेत्र लाड़कुई के वनक्षेत्र से गुजरता है, उक्त मार्ग कार्य आयोजना में वनमार्ग के रूप में उल्लेखित है। वन मण्डल अधिकारी, सीहोर का निरीक्षण प्रतिवेदन पत्र दिनांक 29.04.2023 की छायाप्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1195/2022/10-11/1763
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 02/05/23

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) भोपाल वृत्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सीहोर, मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग बुदनी, जिला-सीहोर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय सामान्य वनमण्डल सीहोर

सीहोर-इंजवर मार्ग, सीहोर (म.प्र.) 466001

Mob-9424790850 E-mail :- dfot.seh@mp.gov.in

क्रमांक/मानचित्रकार/2023/1095

सीहोर दिनांक 29/04/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कक्ष-भू-प्रबंध, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषय:- सीहोर जिले में ग्राम खैरी से डोंगलापानी व्हाया डूंडालावा मार्ग निर्माण हेतु 4.410 हैक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रं/6-MPB-047/2022-BHO दिनांक 19.04.2023
2. आपका पृष्ठाकन क्रमांक/एफ-5/1195/2022/10-11/1664 दिनांक 24.04.2023 एवं पत्र क्रं/एफ-5/1195/2022/10-11/1690 दि. 26.04.2023

--00--

विषयांकित एवं संदर्भित पत्र में निवेदन है कि सीहोर वनमंडल के परिक्षेत्र लाड़कुई अंतर्गत प्रस्तावित ग्राम खैरी से डोंगलापानी मार्ग निर्माण हेतु 4.410 हैक्टेयर वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी के उपयोग पर देने के संबंध संदर्भित पत्र-1 एवं 2 से पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक-4 की जानकारी इस कार्यालय द्वारा चाही गई है।

प्रकरण में उक्त के संबंध में प्रस्तावित मार्ग का मेरे द्वारा आवेदक विभाग के अधिकारी/कर्मचारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी तथा वन अमले के साथ दिनांक 28.04.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें प्रस्तावित मार्ग ग्राम खैरी से डोंगलापानी लंबाई 6.30 कि.मी. प्रचलित वनमार्ग है जो कि वन परिक्षेत्र लाड़कुई के वनक्षेत्र से गुजरता है कार्य आयोजना में वनमार्ग मार्ग उल्लेख है।

अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

एम.एस.डी.बोर (भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर

पृ.क्रमांक/मानचित्रकार/2023/

सीहोर, दिनांक/..../2023

प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला सीहोर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग बुधनी जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सिद्धा
वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल सीहोर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग बुदनी

दूरभाष क्रमांक-07564-235304 ई-मेल eepwd.budni@mp.gov.in

क्र. १५१/टी.एस./2023-24

बुदनी दिनांक 21/04/2023

प्रति,

श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन,
भोपाल म.प्र.

विषय:- सीहोर जिले में ग्राम खेरी से डोंगलापानी वाया इंडलावा मार्ग निर्माण हेतु 4.410 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि लोक निर्माण संभाग बुदनी को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एम.पी.बी.047/2022 बी.एच.ओ. दिनांक 19/04/23

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार चाही गयी जानकारी का विवरण बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

1. स्थल पर स्थित नाले पर एक पूर्व निर्मित जर्जर अवस्था में स्टॉप डेम/बैराज निर्मित है जिसका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जाता है। इस स्टॉप डेम के अपस्ट्रीम साइड में बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया है, (प्रतिलिपि संलग्न)।
2. उक्त मार्ग खेरी से डोंगलापानी वाया इंडलावा तक 20 किलोमीटर का मार्ग बनाना प्रस्तावित है जो कि इंडलावा होते हुए गुजरेगा यह प्रस्ताव (पार्ट-1) लाइकुई वन परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि का है जिसके प्रारंभिक भाग में ग्राम डोंगलापानी है जहाँ पर आबादी निवासरत् है, इसी प्रकार (पार्ट-2) में ग्राम खेरी ग्रामीण क्षेत्र में आता है जिसका प्रस्ताव पृथक से भेजा जा रहा है।
3. उक्त मार्ग में पहाड़ी उँचे स्थानों की कटिंग, लेबलिंग एवं आसान ग्रेडिऐन्ट बनाने में 96000 घनमीटर मिट्टी/ऑडिनरी रॉक की खुदाई होगी खुदी हुई मिट्टी का उपयोग उसी स्थान पर मार्ग निर्माण, लेबलिंग एवं साइड स्लोप में किया जावेगा।
4. उक्त मार्ग की विस्तृत परीक्षण रिपोर्ट एवं उपयोगिता पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है पुनः स्थल निरीक्षण हेतु वन मण्डलाधिकारी महोदय सीहोर को लेख किया जा रहा है।

सहपत्र- उपरोक्तानुसार


कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग बुदनी
जिला सीहोर म.प्र.

विभागाध्यक्ष
2

पत्र क्र. 73/अनु.लि./23/भे.सं. दिनांक 12/5/23

अनापत्ति प्रमाण पत्र

घट प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम डोगलापानी में नाला पर बना बैराज (स्चोर डेम) काफी पुराना एवं क्षतिग्रस्त हो चुका है, वर्तमान में उसमें पानी का स्कोरेज नहीं किया जाता है। यदि लो. नि. वि. द्वारा इस बैराज को बर्गर क्षति पहुँचाये अफरेशीम लाड में वाम्स कलबर्गी का निर्माण किया जाता है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

घट अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी लो. नि. वि. उपविभाग नसरूललागंज के माँगे जाने पर उनके पत्र क्र. 151/अनु.लि./नसरूललागंज दिनांक 03/03/23 के संदर्भ में दिया जा रहा है।


अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप विभाग
नसरूललागंज, जिला-सीहोर



कार्यालय

वन परिक्षेत्र अधिकारी लाड़कुई सामान्य (म.प्र.)

E-mail - RotLadkui@mp.gov.in)

RO INSPECTION REPORT

Name of the project: - ग्राम डोंगलापानी से इछावर रेंज सीमा तक मार्ग निर्माण कार्य
Name of Forest Range : - Ladkui
Forest Compartment No. : - RF-360,363,364,365
Date :- - /09/2022

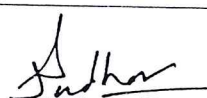
Sn.	Particular	Inspection Report By RO(T)			
1	Extent is hectares.	4.500 हेक्टेयर			
2	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion	Comp. no.	Point no.	Latitude	Longitude
		RF-360	01.	22°50'11"	77°01'10"
		RF-363	02.	22°51'02"	77°01'07"
		RF-364	03.	22°51'44"	77°01'43"
		RF-365	04.	22°52'25"	77°01'51"
3	Legal status of the land (protected forest , reserved forest revenue forest lands or any other forest land)	आरक्षित वन कक्ष क्रं. 360,363,364 एवं 365			
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	सीमांकन कार्य हो चुका है।			
5	Any signs of encroachment.	प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है।			
6	Any activity already taken up within the forest land of adjoining non forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the user agency in case of violation of the FC Act and guideline there under.	वनक्षेत्र में कोई वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।			
7	Status of vegetation site quality , species compositions etc.	प्रस्तावित वनक्षेत्र सागोन वन श्रेणी का है वन घनत्व 0.3 से 0.5 का है, व स्थल गुणवत्ता 4B की है।			
8	Importance of area from wildlife point of view Status of wildlife (density and abundance of important species , bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals any endangered wildlife) Any latest census of wildlife in this area.	प्रस्तावित वन क्षेत्र में कोई दुर्लभ प्रजाति के वन्यप्राणी नहीं है। मात्र सियार देखे गये हैं।			
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	ग्रामीण क्षेत्र होने से पालतु पशुओं का चराई दबाव है एवं वनक्षेत्र सागोन वनश्रेणी का है।			
10	Current land use. Is this area managed as per prescription in the working planed and , if not , why ?	हाँ			
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	नहीं है ।			
12	Any dependent persons/families on this land.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई व्यक्ति आश्रित नहीं है, ना ही कोई परिवार निवासरत है ।			
13	Any displacement of persons proposed.	ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।			

14	Is here any rehabilitation and resettlement plan for the persons to be affected ? Is there any dissenting voice amonth the persons proposed to be displace?	प्रस्तावित योजना में कोई पुर्नवास योजना नहीं है। जिसमें व्यक्तियों/परिवारों को विस्थापित नहीं किया जाना है।
15	Compensatory afforestation proposed is on forest land or non forest land. Location of this area , suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current working plan rescription for the area / Distance of the non forest land fir CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	प्रभावित वनभूमि राईट ऑफ वे के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई संरक्षित क्षेत्र/सेलानी अभ्यारण्य क्षेत्र से लगभग 1.300 कि.मी दूरी पर है।
17	Dependence of tribal's in the area. Whether the rights of the tribal's have been recognized in the area.	प्रस्तावित क्षेत्र में आदिवासियों की कोई आत्म निर्भरता नहीं है ।
18	Utility of the project , including the people living in close vicinity of the project.	प्रस्तावित योजना के माध्यम से ग्राम डोंगलापानी से इछावर रेंज सीमा तक मार्ग निर्माण से जिला मुख्यालय की दूरी में 40 कि.मी. दूरी कम हो जावेगी। जिससे आदिवासी एवं अन्य ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी।
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	नहीं ।
20	Alternatives examined by the user agency in case of no-site specific project.	अन्य कोई विकल्प नहीं है ।
21	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is minimum.	हाँ ।
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	वनक्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 290 है।
23	Any other issue of significance.	नहीं ।
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	प्रस्तावित योजना के माध्यम से ग्राम डोंगलापानी से इछावर रेंज सीमा तक मार्ग निर्माण से जिला मुख्यालय की दूरी में 40 कि.मी. दूरी कम हो जावेगी। जिससे आदिवासी एवं अन्य ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी।

Place- Ladkui

Date :- /09/2022


परिक्षेत्र सहायक
पिपलाही


Forest Officer Range Forest
Range Ladkui (T)

प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत/आवेदक वन विभाग लोक निर्माण विभाग संभाग बुदनी जिला सीहोर के प्रस्ताव डोंगलापानी से इछावर रेंज सीमा तक मार्ग निर्माण के संबंध में दिनांक 02/08/2022 को परिक्षेत्र लाइकुई अंतर्गत वनखण्ड 46 सीपपार्ट कक्ष क्रमांक कक्ष क्रमांक आर.एफ. 360 , 363 , 364 एवं 365 में रकबा ~~4.500~~ ^{4.41} हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। इस हेतु मेरे द्वारा दिनांक 08/09/2022 को स्थल निरीक्षण किया गया । जिसमें वन भूमि आवश्यकता न्यूनतम है तथा प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त राजस्व क्षेत्र तथा अन्य वन क्षेत्र में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा वांछित विकास कार्य की वहाँ आवश्यकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वांछित वनक्षेत्र में कोई दुर्लभ संकटापन्न अथवा विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं पाई जाती है एवं जैवविविधता संरक्षण/वन्यप्राणी प्रबंध की दृष्टि से उक्त क्षेत्र को व्यपवर्तन करने में कोई कठिनाई नहीं है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
(सा.) वनपरिक्षेत्र लाइकुई

Kheri to Donglapani Road Length 20 Km.

Muck Calculation

1.	Excavation in Soil	$2 \times 12000 \times 2.50 \times 0.40 = 24000 \text{ cum}$
2.	Excavation in Ordinary Rock	$1 \times 4000 \times 6.00 \times 3.00 = 72000 \text{ cum}$
Total		96000 cum

Reutilization of Excavated Material for embankment construction, levelling & making the slope = 84000 cum.

Rest is Top Organic Soil dump near by.


Executive Engineer
PWD Division Budni